

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
संख्या-63/2016-वे0आ0-2-2644 /दस-04(एम)/2016
लखनऊ : दिनांक 16 दिसम्बर, 2016

संकल्प

पढ़ा गया : वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-5 में की गयी संस्तुतियाँ।

पर्यालोचनार्थ- शासन द्वारा वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन भाग-5 में नगरीय स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जल संस्थान तथा विकास प्राधिकरणों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों को विचारोपरान्त निम्न के अधीन स्वीकार कर लिया गया है :-

- (1) उक्त संस्थाओं के कार्मिकों के लिये पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के सम्बन्ध में वेतन समिति की संस्तुतियाँ स्वीकार की गयी।
- (2) वेतन समिति द्वारा संस्तुत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का लाभ नगरीय स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जल संस्थान तथा विकास प्राधिकरण के कार्मिकों को उनके द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2016/विकल्प की तिथि को प्राप्त हो रहे वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के आधार पर दिया जायेगा।
- (3) उक्त संस्थाओं के कार्मिकों के लिये पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण, वार्षिक वेतन वृद्धि, मंहगाई भत्ते तथा अन्य भत्तों के सम्बन्ध में वेतन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों को स्वीकार किया गया।
- (4) वेतन समिति की इस संस्तुति को स्वीकार किया गया कि नगरीय स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जल संस्थान तथा विकास प्राधिकरण के कार्मिकों के लिये ए0सी0पी0 की व्यवस्था तथा उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोंन्नयन की अनुमन्यता हेतु शर्तों एवं प्रतिबन्धों की वही व्यवस्था रखी जाये जैसा कि राजकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू की जाय।
- (5) वेतन समिति की इस संस्तुति को स्वीकार किया गया कि उक्त संस्थाओं के ऐसे पेंशनर, जिन्हें पेंशन की सुविधा पूर्व से राजकीय विभागों के सादृश्य पर अनुमन्य है, उनकी पेंशन का पुनरीक्षण राजकीय पेंशनरों की भाँति किया जाय। ऐसे पेंशनर, जिन्हें वर्तमान में राजकीय कर्मचारियों के समान पेंशन की सुविधा देय नहीं है उनके मामले में वर्तमान व्यवस्था को यथावत् बनाये रखा जाय।

(6) वेतन समिति की निम्न संस्तुतियों को स्वीकार किया गया :-

(i) नगरीय स्थानीय निकाय एवं जिला पंचायतों के कर्मचारियों/ अधिकारियों को वेतन समिति की संस्तुतियां लागू किये जाने के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को वहन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता देय नहीं होगी और इसे वहन करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित निकाय/ संस्था का ही होगा।

(ii) राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों तथा जिला पंचायतों को संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि में से कर्मचारियों के वेतन भत्तों/सुविधाओं हेतु आवश्यक धनराशि को आरक्षित करते हुये बची हुई धनराशि तथा उनकी अपने स्रोतों से हुई आय की धनराशि से सम्बन्धित निकाय अन्य विकास सम्बन्धी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति सुनिश्चित करेंगे। संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु आवश्यक धनराशि से कम होने की स्थिति में सम्बन्धित निकाय अपने स्रोतों से प्राप्त धनराशि में से कमी की पूर्ति किये जाने के उपरान्त आवश्यकतानुसार अवशेष धनराशि का उपयोग विकास कार्यों हेतु करेंगे।

(iii) विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों/अधिकारियों को समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों का लाभ इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य कराया जायेगा कि उक्त पर आने वाले व्ययभार को वहन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी तथा ऋणदाता वित्तीय संस्थाओं के देयों अथवा शासकीय देयों, यदि कोई हों, के भुगतान में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। प्राधिकरणों को अपने कार्मिकों को सम्बन्धित लाभ अनुमन्य कराये जाने से अधिष्ठान व्यय में होने वाली वृद्धि के आधार पर ऋणदाता संस्थाओं एवं शासकीय देयों, यदि कोई हों, के भुगतान में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

(iv) जल संस्थान के कार्मिकों को समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों का लाभ इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य कराया जाये कि इसके

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को सम्बन्धित संस्थान द्वारा ही वहन करना होगा तथा संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इससे संस्थान के क्षेत्रान्तर्गत सामान्य जन को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं की अनुमन्यता में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(iv) नगरीय स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों, जल संस्थानों तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा अपने आर्थिक संसाधनों को विवेकपूर्ण ढंग से बढ़ाये जाने का सार्थक प्रयास किया जाय।

(7) वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन भाग-1 में उक्त संस्थाओं के लिए मितव्ययता/आर्थिक संसाधन में अभिवृद्धि के सम्बन्ध में दिए गए निम्न सुझावों को भी स्वीकार किया गया है:-

(क) राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को बड़ी धनराशि प्रत्येक वर्ष संक्रमण/अनुदान के रूप में दी जाती है। स्थानीय निकायों को इस प्रकार संक्रमण/अनुदान से प्राप्त धनराशि से ऐसे स्थायी प्रकृति के कार्य कराये जायें, जिससे कि उन्हें नियमित आय प्राप्त हो सके, जिससे स्थानीय निकायों में अपने संसाधनों से विकास की ओर अग्रसर होने की प्रवृत्ति बढ़े तथा सरकारी अनुदान पर निर्भरता कम हो सके।

(ख) स्थानीय निकाय सामान्यतः राज्य सरकार द्वारा वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर निर्धारित धनराशि के अन्तरण से ही चल रही हैं। इन निकायों के अपने स्रोत बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। विद्युत विभाग द्वारा कुछ समयान्तराल पर बिजली मूल्यों की दरों में वृद्धि की जाती है परन्तु स्थानीय निकाय द्वारा आरोपित किये जाने वाले करों की वृद्धि के सम्बन्ध में स्थानीय निकाय सामान्यतः निर्णय नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण उनकी आय को बढ़ाने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः ऐसी व्यवस्था बनायी जानी चाहिए कि स्थानीय निकायों द्वारा रोपित करों में प्रत्येक 03 अथवा 05 वर्ष में कुछ प्रतिशत धनराशि वृद्धि करते हुये करों को नये सिरे से आरोपित किया जाये। जिससे स्थानीय निकाय के अपने संसाधनों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके।

(8) समिति की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित व्यवस्था लागू करने के फलस्वरूप देय अवशेष, यदि कोई हो, के भुगतान हेतु राज्य कर्मचारियों के लिये निर्धारित व्यवस्था से आकर्षक व्यवस्था लागू न की जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (9) वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन भाग-5 में नगरीय स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जल संस्थान तथा विकास प्राधिकरणों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित व्यवस्था में वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति विषयक आदेश सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से अलग-अलग जारी किये जायेंगे।
- (10) इस संकल्प के जारी होने के दिनांक से प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जल संस्थान तथा विकास प्राधिकरणों में पदों पर भर्ती तथा पदों का सृजन पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में ही किया जायेगा।
- (11) उपर्युक्त निर्णयों को लागू करने के फलस्वरूप यदि कोई असंगति उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण सामान्य विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से किया जायेगा।
- (12) किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त किया जायेगा।
- 2- वेतन समिति के अध्यक्ष, सदस्यों तथा समिति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जिस परिश्रम, अध्यवसाय व निष्ठा से अपना गुरुतर दायित्व निर्वहन करते हुये प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, शासन उसकी सराहना करता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जन-साधारण की सूचना के लिये उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित किया जाय। संकल्प तथा वेतन समिति का प्रथम प्रतिवेदन, भाग-5 वित्त विभाग की वेब साइट पर रखा जाये और सम्बन्धित विभागों को भी भेजा जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन भाग-5 तथा संकल्प की प्रतियां सम्बन्धित सेवा संघों और जनता के लिये बिक्री हेतु उपलब्ध रखी जाये।

आज्ञा से,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
प्रमुख सचिव।

संख्या-63/2016-वे०आ०-2-2644(1)/दस-04(एम)/2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रतिवेदन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (3) प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास, आवास एवं पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष।
- (5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
- (6) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 (25 प्रतियां)
- (7) सचिवालय के सम्बन्धित विभागों से सम्बन्धित समस्त अनुभाग।
- (8) गार्डबुक।

आज्ञा से,

मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।